

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

सेतु मामला आईडी: एडी/ओआई/033/2026

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड I में प्रकाशित किया जाना है)

फ़ा. सं. 6/33/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन,

5-संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: \_\_\_\_ जून 2026

शुरुआत की सूचना

मामला संख्या: - एडी(ओआई)- 033/2026

विषय: चीन पीआर, कोरिया आरपी और सिंगापुर से आयातित या वहां से निर्यात किए जाने वाले "कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट्स" के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच शुरू करना।

1. फ़ा. सं. 6/33/2026-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर क्षति के निर्धारण हेतु पाटन-रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण) नियम, 1995, समय-समय पर यथा संशोधित (जिसे आगे "नियम" या "पाटन-रोधी नियम" कहा गया है), के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (जिसे आगे "वीओएल" या "आवेदक" भी कहा गया है) ने नामित प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर (जिन्हें आगे "संबंधित देश" कहा गया है) से उत्पन्न या निर्यातित "कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स" (जिन्हें आगे "संबंधित वस्तुएं" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटन-रोधी जांच प्रारंभ करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।
2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर से संबंधित वस्तुओं के पाटित आयात से घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हो रही है तथा उसने संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने संबंधित आयातों पर अनंतिम शुल्क लगाए जाने का भी अनुरोध किया है।

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

सेतु मामला आईडी: एडी/ओआई/033/2026

**क. विचाराधीन उत्पाद**

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स" हैं, जो निम्नलिखित सीएस संख्याओं अथवा उनके समकक्षों तथा उनके मिश्रणों के अनुरूप हैं:

क. 6683-19-8, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1010 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम पेंटाएरीथ्रिटोल टेट्राकिस (3-(3,5-डाई-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल) प्रोपियोनेट) है।

ख. 2082-79-3, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1076 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ऑक्टाडेसिल-3-(3,5-डाई-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल)-प्रोपियोनेट है।

ग. 31570-04-4, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 168 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ट्रिस(2,4-डाई-टर्ट-ब्यूटाइलफेनिल) फॉस्फाइट है।

घ. 23128-74-7, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1098 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम एन,एन'-हेक्सेन-1,6-डाइइल बिस (3-(3,5-डाई-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल)प्रोपियोनामाइड)) है।

ड. 125643-61-0, जिसे एंटीऑक्सीडेंट L135 या 1135 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम बैजीनप्रोपेनोइक अम्ल, 3,5-बिस (1,1-डाईमेथाइलएथाइल)-4-हाइड्रॉक्सी-, सी7-9-ब्रांच्ड एल्काइल एस्टर्स है।

च. उपर्युक्त (क) से (ड) में उल्लिखित संबंधित एंटीऑक्सीडेंट्स के मिश्रण।

4. पॉलिमर में प्रयुक्त एंटीऑक्सीडेंट योजक ऑक्सीकरण को रोकने के लिए आवश्यक होते हैं। प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण उच्च तापमान पर किया जाता है, जिसके कारण मूल पॉलिमर प्रभावित होते हैं, क्योंकि वे तापीय ऑक्सीकरण (थर्मल ऑक्सीडेशन) नामक प्रक्रिया के संपर्क में आते हैं। पॉलिमर की स्थिरता बनाए रखने के लिए निर्माण प्रक्रिया के दौरान एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल किया जाता है। इनका प्रमुख रूप से पेट्रोकेमिकल कंपनियों में उपयोग किया जाता है, जो पॉलीओलेफिन्स, स्टाइरीनिक्स, पीवीसी आदि जैसे प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण करती हैं, जहाँ ये स्थिरीकारक/योजक (स्टेबलाइज़र/एडिटिव्स) के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, इनका उपयोग पॉलीओलेफिन्स, स्टाइरीनिक्स, पीवीसी आदि जैसे आधारभूत कच्चे माल का उपयोग करके प्लास्टिक घटकों के निर्माण में तथा रबर, तेल, कोटिंग्स और स्नेहक उद्योगों में दीर्घकालिक स्थिरता एवं टिकाऊपन प्रदान करने के लिए किया जाता है।

5. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि पीयूसी की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित एंटीऑक्सीडेंट्स के विभिन्न रूप एक ही उत्पाद का गठन करते हैं। यह देखा गया है कि यद्यपि इन एंटीऑक्सीडेंट्स

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

सेतु मामला आईडी: एडी/ओआई/033/2026

की विशिष्ट संरचना और गुणधर्म विशिष्ट अंतिम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भिन्न हो सकते हैं, तथापि ये संबंधित एंटीऑक्सीडेंट्स मुख्य रूप से प्लास्टिक में योजक के रूप में प्रयुक्त होते हैं और इनमें समान कार्यात्मकता होती है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन उपकरण, उत्पादन प्रक्रिया तथा परिणामी विशेषताएँ काफी हद तक समान हैं। प्रत्येक एंटीऑक्सीडेंट के लिए कच्चे माल एवं प्रक्रिया की परिस्थितियाँ विशिष्ट होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स व्यापार और उपयोग के दृष्टिकोण से एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।

6. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 और 38 के अंतर्गत आता है। पीयूसी मुख्य रूप से निम्नलिखित एचएस कोड्स के अंतर्गत भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहा है: 29071990, 29072990, 29096000, 29096090, 29181990, 29182910, 29182990, 29183090, 29189990, 29202910, 29202930, 29202990, 29209000, 29209090, 29241990, 29242990, 29280090, 29309099, 29336990, 29339990, 38112900, 38119000, 38122090, 38123910 और 38123990। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे के लिए बाध्यकारी नहीं है।
7. आवेदक ने सीएस संख्याओं के आधार पर एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रकारों को अलग-अलग पीसीएन (पीसीएन) के रूप में विचार करने का प्रस्ताव किया है:
  - क) 6683-19-8, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1010 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम पेंटाएरीथ्रिटोल टेट्राकिस (3-(3,5-डाई-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल) प्रोपियोनेट) है।
  - ख) 2082-79-3, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1076 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ऑक्टाडेसिल-3-(3,5-डाई-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल)-प्रोपियोनेट है।
  - ग) 31570-04-4, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 168 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ट्रिस(2,4-डाई-टर्ट-ब्यूटाइलफेनिल) फॉस्फाइट है।
  - घ) 23128-74-7, जिसे एंटीऑक्सीडेंट 1098 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम एन,एन'-हेक्सेन-1,6-डाइडिल बिस(3-(3,5-डाई-टर्ट-ब्यूटाइल-4-हाइड्रॉक्सीफेनिल)प्रोपियोनामाइड) है।
  - ड) 125643-61-0, जिसे एंटीऑक्सीडेंट L135 या 1135 तथा इसके समकक्षों के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम बेंजीनप्रोपेनोइक अम्ल, 3,5-बिस (1,1-डाईमेथाइलएथाइल)-4-हाइड्रॉक्सी-, सी7-9-ब्रांच्ड एल्काइल एस्टर्स है।
  - च) उपर्युक्त (क) से (ड) में उल्लिखित संबंधित एंटीऑक्सीडेंट्स के मिश्रण।
8. इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे जांच प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रस्तावित पीसीएन पद्धति (पीसीएन कार्यप्रणाली) पर अपनी टिप्पणियाँ/सुझाव प्रस्तुत करें।

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

सेतु मामला आईडी: एडी/ओआई/033/2026

इच्छुक पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी टिप्पणियों को प्रासंगिक साक्ष्यों के साथ प्रमाणित करें।

**ख. समान वस्तु**

9. आवेदक ने दावा किया है कि संबंधित वस्तुएँ, जिनके भारत में पाटित होने का आरोप लगाया गया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। दोनों उत्पादों की तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, कार्यप्रणाली और अंतिम उपयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि दोनों उत्पाद प्रथम दृष्टया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे के प्रतिस्थापनीय हैं। अतः, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबंधित देशों से आयातित संबंधित वस्तुओं के लिए 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

**ग. संबंधित देश**

10. वर्तमान जांच में संबंधित देश चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर हैं।

**घ. जांच की अवधि**

11. आवेदक ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 (12 माह) की अवधि को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि को स्वीकार किया है। जांच के लिए क्षति अवधि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि को शामिल किया जाएगा।

**ङ. घरेलू उद्योग और स्थिति**

12. आवेदन मैसर्स विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (वीओएल) द्वारा दायर किया गया है, जिसने अक्टूबर 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया था। भारत में दो अन्य उत्पादक भी हैं, अर्थात् एचपीएल एडिटिव्स लिमिटेड (एचपीएल) और कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (क्रिस्टोल)।
13. आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वह संबंधित वस्तुओं के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित है।
14. उपलब्ध सूचना के आधार पर तथा समुचित जांच-पड़ताल के पश्चात, प्राधिकारी ने नोट किया है कि आवेदक का उत्पादन भारत में कुल उत्पादन का "एक प्रमुख भाग" है। अतः, नियम 2(ख)

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

सेतु मामला आईडी: एडी/ओआई/033/2026

के अर्थ के अंतर्गत आवेदक घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन पाटन-रोधी नियमों के नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति (स्थिति) संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

### च. कथित डंपिंग का आधार

#### क) चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

15. घरेलू उद्योग ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख एवं उस पर निर्भरता व्यक्त की है तथा यह दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य (चीन पीआर) को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (गैर-बाजार अर्थव्यवस्था) के रूप में माना जाना चाहिए और चीन पीआर के उत्पादकों को यह सिद्ध करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ लागू हैं। यदि चीनी उत्पादक यह सिद्ध करने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत एवं मूल्य संबंधी जानकारी बाजार-आधारित है, तो सामान्य मूल्य (सामान्य मूल्य) का निर्धारण एंटी-डंपिंग नियमों की अनुसूची-1 के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार किया जाएगा।
16. घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि वह किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में प्रचलित मूल्य निर्धारण जानकारी या उत्पादन लागत प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि विचाराधीन वस्तुओं का लेन-देन अनेक कोड्स के अंतर्गत किया जा रहा है, इसलिए किसी बाजार अर्थव्यवस्था देश से किसी तीसरे देश के लिए वैश्विक व्यापार डेटा पर भी विचार नहीं किया जा सका। अतः तीसरे देश से अन्य देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, को किए गए मूल्य को सामान्य मूल्य (सामान्य मूल्य) के लिए नहीं माना जा सकता। इसलिए घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों के आधार पर किया है, जिसमें विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय (विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय) तथा लाभ के लिए उचित वृद्धि भी शामिल की गई है, जो उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार है।
17. प्रारंभ (प्रारंभ) के उद्देश्य से, विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य (सामान्य मूल्य) का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसे विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

#### ख) कोरिया गणराज्य तथा सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य

18. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि सिंगापुर तथा कोरिया गणराज्य (Korea RP) के घरेलू बाजार में विचाराधीन वस्तुओं की कीमत से संबंधित जानकारी/साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया, तथापि सिंगापुर और कोरिया गणराज्य में मूल्य से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं था।

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

सेतु मामला आईडी: एडी/ओआई/033/2026

इस प्रकार की जानकारी प्राधिकरण को भी किसी सार्वजनिक स्रोत से उपलब्ध नहीं है। अतः सिंगापुर तथा कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य (सामान्य मूल्य) का निर्धारण भारत में विचाराधीन वस्तुओं के उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया गया है, जिसमें विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ को भी सम्मिलित किया गया है।

### ग) निर्यात मूल्य

19. भारत में आयातों के लिए रिपोर्ट किए गए सीआईएफमूल्य को, डीजीसीआई&एस सिस्टम्स के डेटा के अनुसार, निर्यात मूल्य (निर्यात मूल्य) के निर्धारण हेतु माना गया है। समुद्री मालभाड़ा (सागर माल), समुद्री बीमा (समुद्री बीमा), ऋण लागत (क्रेडिट लागत), कमीशन, बंदरगाह एवं हैंडलिंग शुल्क तथा इन्वेंट्री वहन लागत (इन्वेंट्री रखने की लागत) के लिए समायोजन किए गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा दावे किए गए शुद्ध निर्यात मूल्यों के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया (प्रथम दृष्टया) साक्ष्य उपलब्ध हैं।

### घ) डंपिंग मार्जिन

20. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना 'एक्स-फैक्ट्री' स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि डंपिंग मार्जिन न केवल 'डी-मिनिमिस' (न्यूनतम) स्तर से ऊपर है, बल्कि काफी ज्यादा भी है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि संबंधित देशों के निर्यातक संबंधित देशों से आने वाले माल की भारतीय बाजार में डंपिंग कर रहे हैं।

### छ. चोट और कारण का संबंध

21. नुकसान के संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत पेश किए हैं जिनसे पता चलता है कि कथित डंप किए गए आयात के कारण नुकसान हुआ है। नुकसान की अवधि के दौरान आयात और घरेलू उद्योग के आर्थिक पैमानों से संबंधित जानकारी से पता चलता है कि संबंधित देशों से होने वाले आयात की मात्रा में वास्तविक रूप से वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता होने के बावजूद सापेक्षिक रूप से आयात का स्तर काफी अधिक है। आवेदक का दावा है कि डंप किए गए आयात के कारण कीमतों में जो गिरावट आई है - जो नुकसान की पूरी अवधि के दौरान बिक्री लागत के स्तर से नीचे रही है - उसने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका है, जिससे पूरी लागत वसूलने और उचित रिटर्न दर प्राप्त करने में बाधा आई है और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है। हालांकि नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू उद्योग की क्षमता का बहुत कम उपयोग हो रहा है। इन्वेंट्री का

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

सेतु मामला आईडी: एडी/ओआई/033/2026

स्तर काफी अधिक है। यह भी दावा किया गया है कि डंप किए गए आयात की मौजूदगी के कारण लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर रिटर्न के मामले में प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग ने वास्तविक और मानक लागत दोनों उपलब्ध कराई हैं, जिनसे पता चलता है कि इष्टतम स्तर पर क्षमता का उपयोग करने पर भी घरेलू उद्योग नुकसान में है। मात्रा और मूल्य पैमानों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

22. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबंधित देशों से डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है।

#### ज. एंटी-डंपिंग जांच की शुरुआत

23. आवेदक द्वारा तय किए गए तरीके और फॉर्म में दिए गए आवेदन के आधार पर, और घरेलू उद्योग द्वारा पेश किए गए शुरुआती सबूतों के आधार पर—जो संबंधित देशों से आने वाले या वहां से एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट की डंपिंग, घरेलू उद्योग को हुए नुकसान और ऐसी कथित डंपिंग व नुकसान के बीच संबंध को साबित करते हैं—और एक्ट की धारा 9ए और ए डी नियमों के नियम 5 के अनुसार, अथॉरिटी संबंधित देशों से आने वाले या वहां से एक्सपोर्ट किए जाने वाले संबंधित सामानों की कथित डंपिंग के अस्तित्व, स्तर और असर का पता लगाने के लिए एंटी-डंपिंग जांच शुरू करती है। साथ ही, यह एंटी-डंपिंग इयूटी की उस राशि की सिफारिश भी करेगी, जिसे लागू करने पर घरेलू उद्योग को हुए नुकसान को दूर किया जा सके।

#### झ. प्रक्रिया

24. जांच में एडी नियमों के नियम 6 में दिए गए प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

#### ञ. सूचना प्रस्तुत करना

25. सभी हितधारक पक्षों (इच्छुक पार्टियाँ) को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है। हितधारक पक्षों द्वारा सभी संचार एवं प्रस्तुतियाँ उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित केस आईडी - एडी /ओआई/033/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुतियों का वर्णनात्मक भाग (वर्णनात्मक भाग) खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो तथा डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।
26. संबंधित देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देशों की सरकारों, और भारत में संबंधित वस्तुओं से जुड़े ज्ञात आयातकों और

उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है। उन्हें नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर, निर्धारित तरीके और फॉर्म में सभी ज़रूरी जानकारी जमा करने में सक्षम बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

27. कोई भी अन्य इच्छुक पक्ष नीचे बताई गई समय-सीमा के भीतर, तय किए गए तरीके और रूप में इस जांच से जुड़ी अपनी बात रख सकता है। जो भी पक्ष अथॉरिटी के सामने कोई गोपनीय जानकारी या दस्तावेज़ जमा करता है, उसे उसका एक ऐसा वर्शन भी उपलब्ध कराना होगा जो गोपनीय न हो, ताकि दूसरे इच्छुक पक्ष उसे देख सकें।
28. दिलचस्पी रखने वाले पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इस जांच से जुड़ी किसी भी नई जानकारी के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ ट्रेड रेमेडीज़ (डीजीटीआर) की आधिकारिक वेबसाइट [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नज़र रखें। दिलचस्पी रखने वाले पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे डीजीटीआर की वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) पर नियमित रूप से जाएं ताकि वे इस जांच में हो रही आगे की गतिविधियों से अवगत रहें और समय-समय पर जारी होने वाले नोटिसों (जैसे प्रश्नावली के फॉर्मेट, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक का शेड्यूल, मौखिक सुनवाई का नोटिस, सुधार/संशोधन की सूचनाएं और ऐसी ही अन्य जानकारी) के बारे में जानकारी पाते रहें।

#### ट. समय सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना इच्छुक पक्षों द्वारा सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपने पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी-एडी/ओआई/033/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) और गैर-गोपनीय संस्करण (एनसीवी), प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को सेतु पर परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटन-रोधी नियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्धारित कॉलम में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण होती है, तो प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा पाटन-रोधी नियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।
30. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि के प्रकार सहित) के बारे में जानकारी दें और इस नोटिफिकेशन में बताई गई समय-सीमा के भीतर, केवल सेतु पोर्टल के ज़रिए अपने प्रश्नावली के जवाब जमा करें।

31. पीयूसी/पीसीएन कार्यप्रणाली के दायरे पर टिप्पणियाँ दाखिल करने की 15 दिन की अवधि, इस आरंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।
32. पीयूसी/पीसीएन में बदलाव के कारण समय बढ़ाना: अगर अथॉरिटी बाद में किसी नोटिस के ज़रिए पीयूसी और पीसीएन में ऐसा बदलाव करती है जो पहले प्रस्तावित नहीं था या जो शुरुआती नोटिफिकेशन से अलग है, तो 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह 15 दिनों का अतिरिक्त समय बदले हुए पीयूसी और पीसीएन के नोटिफिकेशन की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में बताए गए 15 दिनों के अतिरिक्त समय का नियम उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ जाँच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन की कार्यप्रणाली (कार्यप्रणाली) में कोई बदलाव नहीं होता है। एडी नियमों के नियम 6(4) के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, आम तौर पर 15 दिनों के अतिरिक्त समय (अगर दिया गया हो) से ज़्यादा समय बढ़ाने के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
33. समय-सीमा बढ़ाने के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षों द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से, पैराग्राफ 28 में बताई गई मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले जमा किया जाना चाहिए। इस समय के बाद जमा किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### ठ. गोपनीय आधार पर जानकारी जमा करना

34. जब इस जांच में शामिल कोई पक्ष अथॉरिटी के सामने गोपनीय जानकारी या सबमिशन देता है, तो उस पक्ष को नियम 7(2) और इस संबंध में अथॉरिटी द्वारा जारी संबंधित ट्रेड नोटिस के अनुसार, उसी समय उस जानकारी का नॉन-कॉन्फिडेंशियल (गोपनीय न रहने वाला) वर्शन भी जमा करना होगा। ऐसा न करने पर जवाब/सबमिशन को खारिज किया जा सकता है।
35. अथॉरिटी के सामने कोई भी जानकारी या दस्तावेज़ (जिसमें उससे जुड़े परिशिष्ट/एनेक्स भी शामिल हैं) जमा करने वाले पक्षों को—जिसमें प्रश्नावली के जवाब भी शामिल हैं—गोपनीय और गैर-गोपनीय वर्शन अलग-अलग जमा करने होंगे।
36. सी जानकारीयों या दस्तावेज़ों पर हर पेज के ऊपर साफ़ तौर पर "कॉन्फिडेंशियल" (गोपनीय) या "नॉन-कॉन्फिडेंशियल" (गैर-गोपनीय) लिखा होना चाहिए। अगर किसी जानकारी पर ऐसा नहीं लिखा होगा, तो अथॉरिटी उसे 'नॉन-कॉन्फिडेंशियल' जानकारी मानेगी और अथॉरिटी को यह अधिकार होगा कि वह दूसरी इच्छुक पार्टियों को ऐसी जानकारीयों को देखने की अनुमति दे सके।

37. कॉन्फिडेंशियल वर्शन में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो स्वभाव से कॉन्फिडेंशियल है और/या ऐसी अन्य जानकारी जिसे जानकारी देने वाला कॉन्फिडेंशियल बताता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे स्वभाव से कॉन्फिडेंशियल बताया गया है, या जिस जानकारी को अन्य कारणों से कॉन्फिडेंशियल बताया गया है, जानकारी देने वाले को दी गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का स्टेटमेंट भी देना होगा कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
38. संबंधित पक्षों द्वारा जमा की गई जानकारी का नॉन-कॉन्फिडेंशियल वर्शन, कॉन्फिडेंशियल वर्शन की हूबहू नकल होना चाहिए, जिसमें कॉन्फिडेंशियल जानकारी को इंडेक्स किया गया हो या छिपा दिया गया हो (जहाँ इंडेक्सिंग संभव न हो)। साथ ही, जिस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है, उसका उचित और पर्याप्त रूप से सारांश भी दिया जाना चाहिए।
39. गैर-गोपनीय सारांश इतना विस्तृत होना चाहिए कि उससे गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के मुख्य अंश को ठीक से समझा जा सके। हालाँकि, खास मामलों में, गोपनीय जानकारी देने वाली पार्टी यह बता सकती है कि ऐसी जानकारी का सारांश नहीं बनाया जा सकता है; और ऐसी स्थिति में, सारांश क्यों नहीं बनाया जा सकता, इसका पर्याप्त और उचित कारण बताते हुए एक बयान अथॉरिटी को देना होगा जो उन्हें संतुष्ट कर सके।
40. दिलचस्पी रखने वाले पक्ष, दूसरे दिलचस्पी रखने वाले पक्षों द्वारा दस्तावेजों का नॉन-कॉन्फिडेंशियल वर्शन जमा करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय दे सकते हैं।
41. अथॉरिटी, जमा की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि अथॉरिटी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, या यदि जानकारी देने वाला व्यक्ति जानकारी को सार्वजनिक करने या उसे सामान्य या संक्षिप्त रूप में प्रकट करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी को नज़रअंदाज़ कर सकती है।
42. अगर कोई सबमिशन बिना किसी सार्थक नॉन-कॉन्फिडेंशियल वर्शन या नियमों के नियम 7 और अथॉरिटी द्वारा जारी उचित ट्रेड नोटिस के अनुसार गोपनीयता के दावे पर पर्याप्त और उचित कारण बताने वाले बयान के बिना किया जाता है, तो अथॉरिटी उसे रिकॉर्ड पर नहीं लेगी।

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

सेतु मामला आईडी: एडी/ओआई/033/2026

**ड. पब्लिक फ़ाइल का निरीक्षण**

43. किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा किए गए सबमिशन के सभी गैर-गोपनीय वर्शन, सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य इच्छुक पक्षों के लिए उपलब्ध होंगे।

**ढ. असहयोग**

44. अगर कोई इच्छुक पक्ष जानकारी देने से मना करता है, या उचित समय के भीतर या अथॉरिटी द्वारा इस शुरुआती नोटिफिकेशन में तय समय के अंदर ज़रूरी जानकारी नहीं देता है, या जाँच में काफी रुकावट डालता है, तो अथॉरिटी ऐसे इच्छुक पक्ष को असहयोगी घोषित कर सकती है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकती है और केंद्र सरकार को अपनी समझ से सही सिफ़ारिशें कर सकती है।

(अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी